



# KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

**SSC GD FOUNDATION 2024 -25**

**Bilingual**



**PRABHU SIR**

प्रस्तावना-

आमुद्देश्य / उद्देश्यिका

Preamble-

संविधान सभा के सदस्यों का उच्च आदर्श, संविधान का उद्देश्य और भूमिका शासन व्यवस्था और शासन का जनता से संबन्ध निहित है।

"प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है"।

- N. A. पालकीवाला

प्रस्तावना हमारे सपनों का दिर्घकालिक विचार है-'


-अल्लादी कृष्ण अच्युर

The high ideals of the members of the Constituent Assembly, the purpose and role of the Constitution lies in the governance system and the relationship of governance with the people.

"The Preamble is the identity of Constitution". - N. A. Palkhiwala

Preamble, The long-term idea of our dreams is-' -Alladi Krishna Iyer

## प्रस्तावना - Preamble.



Dr. Setting. ÷

3 Dec 1946

Constituent Ass.  
संविधान सभा

22-216  
1947

भारत की संविधान सभा

Objective Bill

3 देव प्रवेश

उद्दीश्यका  
या  
प्रतिवानी  
Programme.

प्र. स. 1. - २६६

• 13 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा के तीसरे बैठक में पंडित जवाहर लाल नेहरू के द्वारा प्रथम प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया।

• प्रस्तावना के विचार को अमेरिका (USA) से लिया गया है।

• प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है।

↳ UNO का चार्टर एकट

• The idea of the PREAMBLE has been taken from America.(USA)

• The language of the PREAMBLE is taken from Australia.

• The first proposal was presented by Pandit Jawahar Lal Nehru in the third meeting of the Constituent Assembly on 13 December 1946 in the form of an objective proposal, which was unanimously accepted by the Constituent Assembly on 22 January 1947.

• प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है।  
अर्थात् यह असंशोधनीय है - बेरुवारीवाद

1960 → SC के द्वारा

↳ इल्की इत्समाप्ति के द्वारा VS संघवाद

The Preamble is not a part of the Constitution. That is, it is unchangeable -  
Beruvarivad 1960

• प्रस्तावना संविधान का अंग है। अर्थात्  
यह संशोधनीय है - केशवानंद भारती  
बनाम केरल 1973

अर्नाकुलम  
HC

↳ व्याकृत Person

The Preamble is a part of the Constitution.  
That is, it is amendable - Kesavananda Bharti  
vs. Kerala 1973

S.R. धर्मबोई VS संघवाद ✓

SC

उच्चतम न्यायालय

• 42 वा संविधान संशोधन अधिनयम, 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया।

PM-  
इन्हाँसी

1. समाजवादी → ज्यूपलम आवश्यकतागुरुत्व  
2. पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष → रोटीकण्डा और मकाम  
3. अखंडता पंथ → विचार निरपेक्ष-भेदभावग्रही। इसका आधार पर आर्थिक आधार पर

By the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, 3 words were added to the Preamble.

1. Socialist → Basic Needs  
2. Secular  
3. Integrity → स्वकला अधिकार

Note - अब तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है।

आत्मा/हृदय/कुंजी/दर्पण/प्रतिबिम्ब/एक झलक/एक नज़र Soul/Heart/Key/Mirror/Reflection/A glimpse/A glance

✓ प्रस्तावना - यह मूल रूप से भारतीय संविधान की आत्मा है। - गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य 1967  
→ ठार्गवदास SC ने → 110-प्राप्तिश्वारो

Preamble – This is basically the soul of the Indian Constitution. - Golak Nath vs State of Punjab 1967

✓ मूलअधिकार - पंडित जवाहर लाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

Fundamental Rights – According to Pandit Jawahar Lal Nehru, it is the soul of the Indian Constitution.

✓ रायवैधानिक उपचारों का अधिकार :-

Article 32 – According to Bhim Rao Ambedkar, it is the soul of the Indian Constitution.

अनुच्छेद 32 - भीम राव अंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

पर्ट-पर्ट-4

भाग 3 और भाग 4 - ग्रेनवेल ऑस्टिन के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा है।

Part-3 and Part-4 – According to Grenwell Austin is the soul of the Indian Constitution.

Count - 25

मुल २५ से भाग - २२

२२  
२६८१० १९५०

भाग - ५ - A - ५२०१८ C. A. A. १९७६

Count - 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25



# KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

## THANKS FOR WATCHING

